अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 12/2018(RCMS No. 2018/00151)
अनवान् 1. हसंराज पुत्र श्री मामराज जाति कुम्हार आयु 70 वर्ष निवासी मकान नं. 157 सी, गली नं. 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर 2. विद्या देवी पत्नी श्री हंसराज जाति कुम्हार आयु 68 वर्ष निवासी मकान नं 157 सी, गली नं. 3, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर बनाम 1. रविकान्त पुत्र श्री हंसराज जाति कुम्हार निवासी मका नं. 157 सी, गली नं. 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर 2. सरोज पत्नी श्री रविकान्त जाति कुम्हार निवासी मका नं. 157 सी, गली नं. 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर 3. रामदेवी पत्नी श्री अमरचन्द जाति कुम्हार निवासी अमरचन्द रतेवाला वर्कशॉप, नजदीक रोजड़ी चौक, रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी मकान नं. 157 सी, गली नं. 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर 4. अमरचन्द पुत्र श्री जगमाल जाति कुम्हार निवासी अमरचन्द रतेवाला वर्कशॉप, नजदीक रोजड़ी चौक, रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी मकान नं. 157 सी, गली नं 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.06.2019

अपीलार्थी हंसराज स्वयं उपस्थित हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 1 व रविकान्त एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 सरोज पूर्व में उपस्थित हुए थे, परन्तु आज उपस्थित नहीं हुए।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में माता पिता एंवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4, रविकान्त पुत्र हंसराज, सरोज पत्नी हसंराज, रामादेवी पत्नी अमरचंद एवं अमरचंद पुत्र जगमाल के विरूद्ध पेश करके प्रार्थना की थी कि प्रार्थीगण का मकान नम्बर 157 सी, गली नं. 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर में स्थित है जो अपीलार्थी/प्रार्थी संख्या 01—हंसराज का खरीदशुदा है जो अप्रार्थीगण से खाली करवाया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगांगनगर ने सुनवाई कर आदेश दिनांक 06.08.2018 से अपीलार्थी का

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील उक्त अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत पेश करके अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.08.2018 को निरस्त कर, रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने हेतु पेश की है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी श्री हंसराज स्वयं उपस्थित है, बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2018 को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 रविकान्त रेस्पोडेंट संख्या 02 पुत्रवधु सरोज पत्नी रविकान्त व रेस्पोडेंट संख्या 03 रामादेवी जो रेस्पोडंट संख्या 02 की मां है एवं रेस्पोडेंट संख्या 04 अमरचन्द जो रेस्पोडेंट संख्या 02 सरोज के पिता है, के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि मकान संख्या 157 सी, गली नं. 05, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर उसका स्वयं का खरीदशुदा है एवं उसके द्वारा ही निर्मित है और उसी मकान में अपीलांट निवास करते आ रहे है और अपीलांट का पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 भी निवास कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 उस मकान में यह कह कर रह रहे थे कि जब भी अपीलांट कहेगा, यह मकान खाली कर देगें।

उनका आगे यह कथन है कि रेस्पोडेंटस अपीलार्थीगण से झगड़ा करते है और कहने पर भी मकान खाली नहीं करते है जबकि इनको मकान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करके उक्त मकान से

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उन्हें बेदखल करके आदेश दिनांक 06.08.2018 पारित किया गया है, जो निरस्त करने योग्य है। अतः उसकी अपील स्वीकार की जाकर उक्त मकान संख्या 157 सी, गली नं. 05, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर को अप्रार्थीगण से खाली करवाकर, कब्जा उसे दिलाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 02, जो कि अपीलार्थीगण की पुत्रवधु है ने अपने जवाब दिनांक 15.01.2019 में अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र में अंकित किये गये आरोपों को गलत बताकर अपील खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, रेस्पोडेंट संख्या 02 सरोज(पुत्र वधु) द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरूद्ध पेश की है। जिसमें उसने निम्न प्रार्थना की है :

> अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का उक्त मकान नम्बर 157 सी, गली नं. 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी संख्या 01 का खरीदशुदा है, अप्रार्थीगण से खाली करवाया जावे। ताकि प्रार्थीगण अपनी वृद्धावस्था का जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके तथा प्रार्थीगण की जान व माल की सुरक्षा की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2018 निम्न आदेश पारित किया है :

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

आदेश

उभयपक्ष की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली के बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो नेक नियत (Clean Hand) से नहीं किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या 2 को घर से बेदखल करनें की मंशा से किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या एक को पाबन्द किया जाता है कि वह शराब आदि का सेवन कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार का नशा कर अप्रार्थी संख्या 2 से झगड़ा वगैरा नहीं करेगें तथा ना ही किसी प्रकार से उत्पात मचायेगें। अप्रार्थी संख्या 2 वृद्ध प्रार्थीगण (सास ससुर) की ससम्मान सेवा करेगी। अप्रार्थीगण 3 व 4 बिना किसी ठोस कारण के प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य किस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगें।

आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-Sd-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

माता पिता एवं बरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत माता–पिता अपनी संतानों से भरण पोषण नियमानुसार प्राप्त करने का हकदार हो सकते है और अगर कोई सम्पत्ति भरण पोषण की शर्त के अधीन दी गई हो तो भरण पोषण न दिये जाने की सूरत में उस सम्पत्ति से संतानों को बेदखल किया जा सकता है।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या उक्त अधिनियम माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलार्थी हसंराज व उसकी पत्नी विद्या देवी अपने उक्त मकान 157 सी, गली नं 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर जिसका पट्टा दिनांक 23.03.2006 हंसराज के नाम से चक 1 ए छोटी, मुरब्बा नम्बर 57, किला नं 01 में 30 गुणा 50 के रूप में जारी है, से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 को बेदखल करवा सकते है अथवा नहीं?

चूंकि अपील प्रार्थना पत्र एवं रेस्पोडेंट सख्या 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब 15.01.2019 एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब से स्पष्ट होता है कि **रेस्पोडेंट संख्या 01 –रविकान्त अपीलार्थीगण का पुत्र है एवं रेस्पोडेंट संख्या 02–सरोज, जो कि अपीलार्थीगण की पुत्रवधु है। रेस्पोडेंट संख्या 03–रामदेवी एवं रेस्पोडेंट संख्या 04– अमरचन्द, जो कि रेस्पोडेंट सख्या 02 सरोज के माता–पिता है। अपीलार्थीगण केवल उक्त अधिनियम अपनी संतान से ही कोई राहत नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।** क्या पुत्र वुध रेस्पोडेंट संख्या 02 एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 जो पुत्रवधु के माता पिता है उक्त अधिनियम की धारा 2(क) की संतान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 2(क) अवलोकनीय है :

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

संतान के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अवयस्क सम्मिलित नहीं है।

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि पुत्रवधु एवं उसके माता पिता संतान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 02 सरोज जो कि अपीलार्थी की पुत्रवधु है एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 पुत्रवधु के माता पिता है। इसलिए इस अधिनियम के तहत अपीलार्थी रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 से कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकता। केवल अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 से ही नियमानुसार राहत प्राप्त करने के का हकदार हो सकता है।

चूंकि अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 से अपना उक्त मकान खाली करने की प्रार्थना की है। अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार जहां वरिष्ठ नागरिक द्वारा कोई सम्पत्ति भरण पोषण प्राप्त करने की शर्त के अधीन दी गई हो तो ऐसा अन्तरण भरण **पोषण न करने की सूरत में ही शून्य हो सकता है। परन्तु इस मामले में ऐसा कोई अन्तरण नही है। अपीलार्थी केवल उक्त वादग्रस्त मकान से अपीलार्थी रेस्पोंडेंट सख्या 1 से 4 को बेदखल करवाना चाहता है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विचारणीय नहीं है। इसएिल अपीलार्थी की उक्त वादग्रस्त मकान नं 157 सी, गली नं. 05, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर बेदखली सम्बन्धी अपील अस्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

आवश्यकता नही है। अपीलार्थी उक्त मकान से रेस्पोडेंटस की बेदखली के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर